DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j Collage Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email---Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-3 Paper-8 Date-17-08-2020

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत द्वारा किये गये प्रयासों की विवेचना:---

देश के समस्त विकासात्मक प्रयासों का अन्तिम लक्ष्य, मानव विकास के अपनाने के सन्दर्भ में देश की कार्य सूची में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रथामिकता प्रदान की गई है।भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं पर विहंगम दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि गरीबी के कारण महिलाओं की खराब दशा को सुधारने के लिए अनेक उपाय किये गये।साथ ही निर्धनतम परिवारों तथा महिलाओं को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्य को सर्वोच्च प्रथामिकता दी गई है इसी रणनीति के तहत महिला एवं बाल विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए गये जो निम्नलिखित है।
*1.*महिलाओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की सुरक्षा----भारतीय संविधान के अनुच्छेद *14* में पुरुषों एवं महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए गए हैं।जबकि अनुच्छेद-*15* लिंग धर्म प्रजाति जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद-*15 (3)* राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विवेक रखने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद *16* में सभी नागरिकों के लिए सरकारी नियुक्तियों के मामले में समान अवसर प्रदान करता है।अनुच्छेद *39* में यह व्यवस्था है कि राज्य, जीविका के साधनों के अधिकार पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से प्रदान करने और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की निति बनाए।अनुच्छेद *42* राज्य को निर्देश देता है कि कार्य की स्थितियों को मानव के लिए उपयुक्त और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करें।अनुच्छेद *51 (*क*) (*ड.*)*प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य लागू करता है कि महिलाओं के सम्मान का अनादर करनेवाली प्रथाओं को दूर कर सकें।इस समानता को वास्तविकता बनाने के लिए महिलाओं के पक्ष में विशेष अधिनियम लागू करने के आलावा, समय समय पर विभिन्न नितियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया गया।
रेणुका चौधरी के शब्दों में---"सशक्तिकरण का अर्थ है-आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास।यदि कोई महिला अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग है आत्मनिर्भर है और अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति आत्मविश्वास से भरी हुई है तो कहा जायेगा कि वह सशक्त है।"
इस प्रकार महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है जो महिलाओं के सम्पूर्ण विकास की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करके यह उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रबल पक्षधर है।इसकी सबसे बडी विशेषता है, महिलाओं के विकास को सम्पूर्ण समाज के विकास की पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार करना।

यदि हम महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते है तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आखिर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी?इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि लम्बे समय से महिलाओं के प्रति जारी समाज का भेदभाव ही इसके लिए जिम्मेदार रहा है।कहा जाता है कि एक महिला के साथ"जन्म से लेकर कब्र तक सतत् रूप से भेदभाव जारी रहता है।"

भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में पर्याप्त हीन ही है।शताब्दियों से यहाँ की महिलायें-बालिकाओं, किशोरीयों,युवतियों पौढ़ाओं एवं बृद्धाओं के रूप में भेदभाव का शिकार होती आयी है।देश में बालिका शिशु हत्या जैसी कुरीति का आज भी कई स्थानों पर प्रचलन है।हभारे धर्म ग्रन्थों में संविधान में तथा सैद्धान्तिक रूप से नारी को सम्मानीय दर्जा देने के बावजूद आज भी व्यवहार में भारतीय नारी एक हीनता का जीवन व्यतीत करती हैं।इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महिला सशक्तिकरण आन्दोलन को तीव्रतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं महिला दशक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

संक्षेप में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की स्वयं को शारिरिक व मानसिक तौर पर सुढ़ढ़ करने की शक्ति का विकास होता है।ये पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का विकास कर सके, सामाजिक आन्दोलनों में भाग ले सकें व उनका नेतृत्व कर सके तथा प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें।

भारत में भी'महिला सशक्तिकरण'के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए संवैधानिक एवं व्यावहारिक प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से ही महिलाओं का विकास हमारी राष्ट्रीय निति का एक प्रमुख मुद्दा रहा है।प्रारम्भ में महिलाओं के 'कल्याणार्थ 'बहुत सी योजनाएं लागू की गई।तदुपरांत उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। *1990* के पश्चात से महिला सशक्तिकरण भारत की नीति का प्रमुख मुद्दा है निति निर्माण में उसकी सहभागिता को निरन्तर प्रोत्यसाहित किया जा रहा है।इस हेतु जहाँ कई आन्दोलन चलाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर अनेक सामाजिक संस्थायें भी कार्यरत है।

महात्मा गाँधी---स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले,और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-17
From vivo Note

Scanned with CamScanner